

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति	जनपद चम्पावत पी0एम0जी0एस0वाई फेज-8 के अन्तर्गत टकनागूठ से डांडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 16.00 कि0मी0
(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii) जिला	नैनीताल
(iii) जिला वन प्रभाग	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी
(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	मार्ग हेतु मक डिस्पोजल हेतु 1. आरक्षित वन भूमि 2.940 है0 1.000 2. सिविल/राज्य वन भूमि 4.200 है0 1.000 3. नाप भूमि 5.220 है0..... कुल 12.360 है0 2.000 कुल भूमि 14.360 है0
17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति:	सिविल/राज्य भूमि, आरक्षित भूमि
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:	चीड़, साल, साज, एवं अन्य सहचरी प्रजाति
(i) वन का प्रकार	मार्ग हेतु मक डिस्पोजल हेतु 1. आरक्षित वन भूमि 2.940 है0 1.000 2. सिविल/राज्य वन भूमि 4.200 है0 1.000 3. नाप भूमि 5.220 है0..... कुल 12.360 है0 2.000 कुल भूमि 14.360 है0
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व	0.40
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	मोटर मार्ग के निर्माण में चीड़- Pinus roxburghii, साल- Shorea robusta, साज- Shorea robusta, काफल- Myrica Esculenta, कौल- Persea odoralsismia, जामुन- Syzygium Cumini ect.
(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	मोटर मार्ग का समरेखन जहाँ नाप भूमि से असंभव हो, वहीं वन भूमि में किया गया है।
19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न हैं।
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित वन भूमि एवं वनपंचायत/राज्य भूमि में ही मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिससे यह वन भूमि के अन्तर्गत ही है।
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	
(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव	बाघ, लैपर्ड, भालू, सेही, हिरन, काकड़, खरगोश इत्यादि।

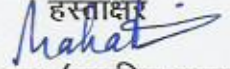
का ब्यौरा :	
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव उत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :	
(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अन्य विकल्प भूमि न होने के कारण प्रस्तावक विभाग द्वारा दर्शित भूमि न्यूनतम व अपरिहार्य है।
(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है।	जहाँ सम्भव है वहाँ निजी भूमि का चयन कर उपयोग किया जा रहा है।
24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/ नहीं)	नहीं।

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही	नहीं।
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)	नहीं।
25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :	
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	डुंगराबाकू वन ब्लॉक
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।	चम्पावत वन प्रभाग के लोहाघाट रेंज में डुंगराबाकू वन ब्लॉक कक्ष संख्या 21
(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं।	1:50000 का मानचित्र एवं डिजिटल मैप संलग्न है।
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।	हाँ संलग्न है।
(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :	रु0 13645786.18
(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।	संलग्न है।
27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों	The present Taknaguth to Danda Malla Motor Road Construction work, is proposed in mid of the forest area. Hence due to land transfer, the forest area would be separated in two parts, as a results of which the movement of wild life is to be affected. the construction of road will lead to increase in movement of vehicles as will as people incidents of illicit filling poaching man-animal conflict, accident of wild animal on road etc. may increase. further this new allweather road will connecting with

	Danda village which further connects with Nandhaur Wild Life Sanctuary. Hence forth the forest department need to be suitably equipped to handle the new challenges. the project is recommended with following additional demands for forest department. 1. Rs. 15 Lakh for Camper for patrolling. 2. Barring forest chowki in Danda Village, there is no other infrastructure of forest department. Rs 20 Lakh should be allotted for repair of FRH in Danda. if the repair is not possible, then new touring officer quarter would be constructed with this fund. this will be very useful for officer as wall as staff. who are on field visit, inspection, patrolling etc. 3. Rs. 10 Lakh should be provided for constructions of new barrier/Gate at a place decided the Director of Nandhaur Wild Life Sanctuary.
--	---

स्थान: हल्द्वानी।

तारीख:

हस्ताक्षर

 नाम (महातिम यादव)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 हल्द्वानी वन प्रभाग
 हल्द्वानी.